कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर)

....

क्रमांक भू.अ./नवि/91

दिनांक: 7.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम नारसपुरा में भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वी राज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर :

1. 393 ए/88
2. 393बी/88
3. 395/88
4. 400/88
5. 401/88
6. 411/88
7. 402/88
8. 403/88
9. 404/88
10. 405/88
11. 406/88
12. 407/88
13. 408/88
14. 409/88
15. 410/88
16. 412/88
17. 413/88
18. 415/88
19. 416/88
20. 417/88
21. 418/88
22. 419/88
23. 420/88

का र्य वा ही

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894(1984) का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना प.6(15)11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र में 7.7.1988 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 अ की रिपोर्ट राज्यसरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प.6(15)नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र जुलाई 31, 1989को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम लालरपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गयी।

क्र.सं.	मुक.नं.	खातेदार/हितदारी का नाम	ख.नं.	अवाप्तिधीन रकबा बी. बि.
1	2	3	4	5
1.	393अ/88	हरनाथ पु. मांगू 1/2 रामदेवा, पु. हरदेवा 1/2 जाट, कालू पु. नारायण 2/3, प्यारसा पु. नारायण अहीर, श्रवण पु. ल्या जाट 1/3	133 177	1-10 6-13
2.	393बी/88	हरनाथ पु. मांगू जाट	134	1-00
3.	395/88	भूरा पु. बख्ता 1/2, छीतर, छोटू, श्रवण पि. रघुनाथ 1/2, ब्राहम्ण	197 198	4-01 7-18
4.	400/88	भूथा पु. बख्ता जाट	154 155	1-10 2-15
5.	401/88 411/88	भेरू, बाबू पि. रामू 1/3, किशना, लादू पिता. गणेश 2/3 दर भूथा वल्द बख्ता जाट 1/2	156 183	6-10 10-06
6.	402/88	हरनाथ पुत्र मांगू	158	3-12
7.	403/88	सुखा, सूजा, नाथू, पि. हरनाथ जाट	159	4-02
8.	404/88 405/88	नाथू, पि. गुल्ला 1/2, सूजा, नाथू, रामू, रामचन्दर, जगदीश, बाबू पि. गोरिया, 1/4, भूरिया पु. हरला 1/4 जाट.	160 176 161 162) 163) 164 165 169	1-14 0-15 0-13 3-11 2-02 1-00 0-03
9.	406/88	नारायण, पूरा, रूग्गा, पि. भूथा व गोपी पु. हरला, नाथू पु. गुल्ला जाट		
10.	407/88 408/88	नारायण, पुरियापि. भूथा जाट	170 171 172) 173)	2-06 5-06 1-06
11.	409/88	रूग्गा पु. भूरा जाट	174	1-13
12.	410/88	सूजा, नाथू, रामू, रामचन्दर, जगदीश, बाबू पि. गोरिया, नारायण पि. भूथा जाट	178 180	4-05 2-16

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

क्रमशः .. 3 ..

I.	2. 2.	3.	4.	5.
13.	412/88	भैरू, बाबूलाल पि. रामू 1/3, किशना, बाबू पि. गणेश हि. 1/3, जाट	184	8-00
14.	413/88	सूजा, नाथू, रामू, रामचन्दर, जगदीश, बाबू पि. गोपी 1/3, नारायण पि. बूथा 1/3, नाथू पु. गुल्ला 1/3	185	1-02
15.	415/88	भूरा, लाला, कालू, भैरू, पि. बूथा 3/8, सूजा पु. गोपी 5/8 जाट	191	13-07
16.	416/88	नानगा पुत्र भौरी लाल 1/9, बूथा पुत्र बक्सा 1/9, रामलाल पु. गोपी 1/9, रामनाथ पु. भौरीलाल 2/9 गुल्ला पु. गोविन्दा, 1/12, सायरा पु. भूरा 1/36 सूजा, नाथू, रामू, रामचन्दर, जगदीश, बाबू, पि. गोपी 1/6, नान्छा पु. प्रताप जाट 1/6	192	47-01
17.	417/88	श्री. सुन्नी देवी पत्नी रामनाथ	193	1-05
18.	418/88	श्री. दवी नारायण, राधेश्याम पि. सूरजबक्स 3/5, मनभर बेवा भँवर लाल पुत्री सूरज बक्स 1/5 केसर, बेवा रामनाथ, पुत्री सूरज बक्स 1/5, सरस्वती देवी पत्नी स्व. जमनादास शर्मा	194 199 200/227	0-15 1-07 3-01
18.	419/88	मूलचंद, राधेश्याम पि. सूरज बक्स 2/5, मनभर बेवा भँवर लाल 1/5, केसर बेवा रामनाथ, 1/5, रामलाल पुत्र गोपी जाट 1/5	200	12-15
19.	420/88	नान्छा पु. प्रताप 1/2, नान्छा, मोहरू, मोहन, भोलू पि. प्रताप जाट 1/2	201	21-11

क्र. सं. 55 । मु. नं. 393ए/88 ख. नं. 133, 177:-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 133 हरनाथ पु. मांगू 1/2 रामदेव पु. हरदेवा 1/2 जाति जाट सा. देह, एवं खसरा नं. 177 कालू पुत्र नारायण 2/3 ग्यारसा पुत्र नारायण जाति अहीर, श्रवण पुत्र रूगा 1/3 जाट सा. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये। जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा रामचन्द्र एवं जय राम को देकर तामिल करवाये गये। परन्तु खातेदार/हितदारान एवं आपत्तीकर्ता म्युअचल गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्य उपस्थित नहीं हुये। इसके उपरान्त धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 17.5.91 को जारी किये गये। जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार चस्पा कराकर तामिल कराये गये। ~~दिनांक~~ इसके उपरांत 17.5.91 को धारा 9 व 10 के नोटिस रजिस्टर्ड ए0 डी0 के द्वारा भी भेजे गये। बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके उपरान्त दिनांक 28.5.91 को धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में करवाया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/ हितदारान / आपत्तीकर्ता उपस्थित नहीं हुये। अतः खातेदारान/

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

क्रमशः ... 4.

हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र.सं. 2 मुकदमा नं. 393/बी /88 खसरा नं0 134 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 134 हरनाथ पुत्र मांगू जाट के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.5.91 को खातेदारान/हितदारान को नोटिस जारी किये गये । जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सरपंच तुलाराम (घर का सदस्य) को देकर तामिल कराये गये । इसके उपरांत दिनांक 17.5.91 को रजि0 ए0 डी0 द्वारा नोटिस भेजे गये इसके उपरांत 28.5.91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद कोई भी खातेदारान / हितदारान उपस्थित नहीं हुये । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र.सं. 3 मु.नं. 395/88, खसरा नं. 197,198 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 197,198 भूरा पुत्र कमला, छीतर, छेटू, श्रवण पि. रघुनाथ ब्राह्मण के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 17.5.91 को नोटिस दिये गये जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार चस्पानगी द्वारा तामील कराया गया । दिनांक 17.5.91 को ही नोटिस रजिस्टर्ड ए0 डी0 द्वारा भेजे गये । बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये इसके उपरांत दिनांक 28.5.91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया । बावजूद खातेदारान/ हितदारान अनुपस्थित रहे । अतः खातेदारान / हितदारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

क्रमशः... 5 ...

231

क्र.सं.4 मु.नं.400/88 ख.न.154,155:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं.154व155 धूधा वल्द बख्ता कौ. बाट के नाम से दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता श्रीमान मु.नि. न.न. को दिनांक17-5-91 को जारी किया गया। जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सरपंच तुलारामपुरा के सदस्य को देकर एवं परिवार के सदस्य रामप्रताप को देकर तामिल कराये। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजे गये। दिनांक 28-5-91 को दो समाचार पत्रों में दैनिक नवज्योति व नवभारत टाईम्स में प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान/आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं.5 मु.नं.411/88 खसरा नं.156,183:
401/88

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं.156,183 मेव,दाखू पि. रामू1/3 किशना,लादू पिता गंगा हि.2/3,हि.1/2,धूधा वल्द बख्ता हि. 1/2 बाट ना. देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 17-5-91 को जारी किये गये। जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार रामप्रतापपुरा का सदस्य को तामिल देकर कराये गये। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा जारी किये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। इसके उपरांत धारा 9 व10 के नोटिस दिनांक28-5-91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाईम्स में समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

क्र.सं.6 मु.नं. 402/88 ख.नं.158:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.न. 158 हरनाथ पुत्र मांगू के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजि.ए०डी० द्वारा भेजे गये। इसके बावजूद हितदारान/खातेदारान अनुपस्थित रहे। इसके उपरांत दिनांक 28-5-91 को नवभारत टाईम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में नोटिस को प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

क्र.सं.7 मु. नं. 403 ख.नं.159:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 159 सुवा,भूरा,नाथू,पि. हरनाथ कौम बाट के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये। जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सरपंच तुलारामपुरा के सदस्य को देकर तामिल कराये गये। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजि०ए०डी०द्वारा भेजे गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। इसके उपरांत धारा 9 व10 के नोटिस दिनांक 28-5-91 के दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाईम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

237

क्र·सं· 8 मु·नं· 404/88 एवं 405/88 ख·नं· 160, 175, 161, 162, 163, 164, 165 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं· 160, 175, 161, 162, 163, 164, 165 नाथू पि· मु· गुल्ला हि· 1/2 भूधा, नाथू, राधू, रामचन्दर, जगदीश धाधू पि· भोरिया 1/4 भूरिया पु· हरला 1/4 जाट के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान, आपत्तिकर्ता मुख्य मु·नि·अ·अ· को दिनांक 17·5·91 को जारी किये गये । जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सरपंच ग्राम रायपुर का दस्तखत को देकर तामील कराये गये । दिनांक 17·5·91 को नोटिस रजि०ए०डी० द्वारा दिये गये । परन्तु खातेदारान/हितदारान, आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहे । ~~इसके उपरांत नोटिस दिनांक 17·5·91 को भी रजि० ए०डी० द्वारा जारी किये~~ उपरान्त जिसके बावजूद दिनांक 28·5·91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया । बावजूद खातेदारान हितदारान अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र·सं· 9 मु·नं· 406/88 ख·नं· 169 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 169 नारायण पुत्र, रामा पि· भूधा, गोपी पु· हरला, नाथू पुत्र गुल्ला जाट सा· खाचरियावास के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 18·5·91 को खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये । जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा मौके पर चस्पा कराये गये । दिनांक 17·5·91 को रजि·ए·डी· द्वारा नोटिस भेजे गये । जिन पर डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार "काफी तलाश करने पर नहीं मिले" तथा नारायण पु· भूधा के ठिकाने पर लेने से इन्कार अंकित है । इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये । इसके उपरांत दिनांक 28·5·91 को दैनिक नव ज्योति एवं नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन कराये गये । फिर भी खातेदारान हितदारान अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र·सं· 10 मु·नं· 407/88, 408/88 ख·नं· 170, 171, 172, 173 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख·नं· 170, 171, 172, 173 नारायण, भीरया पि· भूधा जाट सा· खाचरियावास के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 25·1·90 को खातेदारान/हितधारान एवं आपत्ती कर्ता मुख्य मु·नि·अ·अ· को जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस श्री नारायण हनुमान भूरिया को देकर तामिल कराये गये । खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे । धारा 9 व 10 के नोटिस पुनः दिनांक 17·5·91 को ~~[illegible]~~ जारी किये गये । जिसे तामिल की रिपोर्ट के अनुसार रामप्रताप कुंवर का दस्तखत को देकर तामिल कराये गये । दिनांक 17·5·91 को नोटिस रजि०ए०डी० द्वारा भेजे गये । इसके उपरांत नोटिस 28·5·91 के दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये जिसके बावजूद खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

235

क्र.सं. 11 मु.नं. 409/88 खसरा नं0174 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख0नं0174 कन्या पु. भूरा कौ.जाट धाॅयावाला के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस 31.1.90 को जारी किये गये जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार रामचन्दर को देकर तामिल कराया । धारा 9 व 10 के नोटिस पुनः 17.5.91 को खातेदारान/हितदारान एवं मुआवजा मु.नि.त.त. को जारी किये गये तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस राम प्रताप (घर का सदस्य) को देकर तामिल कराये गये । दिनांक 17.5.91 को नोटिस 17.5.91 को नोटिस रजि.ए.डी. द्वारा जारी किये गये । बावजूद खातेदारान/हितदारान व आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । इसके उपरांत दिनांक 28.5.91 को नवज्योति एवं नवभारत समाचार पत्रों मे प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी ।

क्र.सं. 12 मु.नं.410/88 ख.नं. 178, 179, 180 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं.178, 179, 180 धुला, नाथू, राजू, रामचन्दर, जगदीश बाबू पि. गोरिया नारायण पि. धुला कौ. जाट सा.देह मु. के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 31.1.90 खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तीकर्ता को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार चस्पा कराये गये । धारा 9 व 10 के नोटिस दिनाक 17.5.91 को पुनः जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार सरपंच धुलाराम (घर का सदस्य को देकर तामिल कराये गये दिनांक 17.5.91 को नोटिस रजि.ए.डी. द्वारा तामिल कराये गये । इसके उपरांत दिनांक 28.5.91 के समाचार पत्रों (नवभारत एवं दैनिक नव ज्योति) मे प्रकाशन कराये गये । इसके बावजूद खातेदारान हितदारान, आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र.सं.13 मु.नं. 412/88 ख.नं. 184 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0184 मैस, बाबूलाल पि.राजू 1/3 किशना, बाबू पि. गणेश हि, 1/3, जाट सा. देह मु.कदीम के नाम दर्ज है केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17.5.91 को खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तीकर्ता मामा तामसराय मु.नि.त.त. को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा चस्पा कराकर तामिल कराये गये । दिनांक 17.5.91 को नोटिस रजि.ए.डी. द्वारा भेजे गये । दिनांक 28.5.91 को नोटिस दैनिक नव ज्योति व नव भारत टाइम्स में प्रकाशन कराये गये इसके बावजूद खातेदारान हितदारान, आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र.सं. 14 मु.नं.413/88 ख.नं.185:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं.185 धुला, नाथू, राजू, रामचन्दर, जगदीश बाबू पि. गोपी हि.1/3 नारायण पि. धुला1/3 नाथू पु.मुन्ना हि. 1/3 के नाम दर्ज है केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान, आपत्तीकर्ता, मुआवजा मु.नि.त.त. को दिनांक 31.1.90 को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा मौके पर चस्पा कराये गये । बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा मौके पर चस्पा कराये गये । बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । धारा 9 व 10 के नोटिस पुनः दिनांक 17.5.91 को जारी किये गये जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा सरपंच धुलाराम घर का सदस्य) को देकर तामिल कराये गये । खातेदारान/हितदारान आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । एवं दिनांक 17.5.91 को नोटिस रजि.ए.डी. जारी किये दिनांक 28.5.91 के दैनिक नवज्योति/नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित करवाये गये इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान, आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

क्रमशः.....9 .....

234

कृ०सं० 15 मु०नं० 415/88 ख०नं० 191 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 191 भूरा, नाथा, कालू, मैक पि० बुधा 2/3, धुला पु० मोती हि० 1/3 कृ० खा० देह के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 23-1-90 को खातेदारान/हितदारान/आपत्तीकर्ता मुताबिक कृ०नि०व०स० को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा मौके पर चस्पा कराये गये । बावजूद हितदारान/खातेदारान इत्यादि उपस्थित नहीं हुये । इसके उपरांत दिनांक 17-5-91 को पुनः नोटिस जारी किये गये । जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा सर्वंच धूलाराम गुर्जर का दस्तखत को देकर तामिल कराये गये । दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये बावजूद खातेदारान/हितदारान/आपत्तीकर्ता उपस्थित नहीं हुये । इसके उपरांत 28-5-91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान/आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

कृ०सं० 16 मु०नं० 416/88 ख०नं० 192 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 192 नानगा पुत्र मोती लाल 1/9 धूला पु० कम्मा 1/9, रामलाल पु० मोती 1/9, रामनाथ पुत्र मोतीलाल 2/9 गुल्ला पुत्र गोविन्दा 1/12, लादरा पुत्र धूरा 1/36, धुला, नाथू, राधू, रामचन्दर, [illegible], बालू पि० मोती 1/6, नान्दा पुत्र प्रताप 1/6 खा० के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 23-1-90 को खातेदारान/हितदारान/आपत्तीकर्ता मुताबिक कृ०नि०व०स० को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार हीरा लाल चौधरी नवरत्न चौधरी गुर्जर का दस्तखत को देकर तामिल कराये गये । खातेदार/हितधारी आपत्तीकर्ता अनुपस्थित रहे । इसके उपरांत पुनः नोटिस 17-5-91 को जारी किये गये । जिसे तामिल कुनिन्दा के दौरान धूलाराम सर्वंच गुर्जर का दस्तखत को देकर तामील कराये गये । दिनांक 17-5-91 को ही नोटिस रजि० ए०डी० द्वारा जारी किये गये । दिनांक 28-5-91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये । इसके बावजूद भी खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

कृ०सं० 17 मु०नं० 417/88, खसरा नं० 193 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 193 मु० मुन्नी देवी पत्नी राम नाथ खा० देह के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को जारी किये गये । जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा धूलाराम सर्वंच को देकर तामील कराये गये । दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजि० डाक द्वारा जारी किये गये । खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । इसके उपरांत 28-5-91 के दैनिक नव ज्योति एवं नवभारत टाइम्स में नोटिस प्रकाशन कराये गये । हितदार/खातेदार अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

कृ०सं० 18 मु०नं० 418/88 ख०नं० 194, 199, 200/227 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 194, 199 धुला, देवीनारायण, राधेश्याम पि० सुरज बक्स हि० 3/5 मंगलदेवा मेहर लाल पुत्री सुरज बक्स 1/5 केशर देवा रामनाथ पुत्री० सुरजबक्स हि० 1/5 खा० [illegible] के नाम दर्ज है । केन्द्रीय

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को जारी किये गये। जिसे तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस मूलचंद व मुरलीधर परिवार का सदस्य को देकर तामिल कराये गये। दिनांक 17-5-91 को ही नोटिस रजि० ए०डी० द्वारा भेजे गये। बावजूद हितदार / खातेदार अनुपस्थित रहे। इसके उपरांत धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 28-5-91 को दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स के समाचार पत्रों में किया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान /हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र०सं० 19 मुकदमा नं० 419/88 खसरा नं० 200:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 200 मूल चन्द, राधेश्याम पि० सूरज बक्स, हि० 2/5, भगर बेटा मेहर लाल 3/5, भैरू बेटा रामनाथ हि० 1/5 रामलाल पु० गोपाल हि० 1/5 जा० जाट के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को खातेदारान/हितधारान एवं आपत्तीकर्ता म्युअल गृह निर्माण सहकारी समिति लि० को दिये गये। जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा सरपंच मूलारामको (घर का सदस्य) देकर तामिल कराया। एवं समिति का नोटिस राधाकृष्ण को दिया गया। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा जारी किया गया। बावजूद हितधारान/खातेदारान एवं आपत्तीकर्ता उपस्थित नहीं हुये। इसके उपरांत दिनांक 28-5-91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद कोई खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र०सं० 20 मु०नं० 420/88 ख०नं० 201 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन के खसरा नं० 201 नान्गा पु० प्रताप 1/2 नान्गा, मोहन, मोहन, मोलू पि० प्रताप हि० 1/2 जा० जाट के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-5-91 को खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये। जिसे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नान्गा पु० प्रताप को देकर तामिल कराये गये। दिनांक 17-5-91 को नोटिस रजिस्टर्ड ए डी द्वारा भेजा गया। बावजूद खातेदारान /हितदारान अनुपस्थित रहे। इसके उपरांत 28-5-91 के नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नव ज्योति समाचार पत्रों में धारा 9 व 10 के नोटिस प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत [illegible] उपरोक्त मुकदमात के सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 3-5-91 को दिये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा 7-5-91 को सम्बन्धित तहसीलदार, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा किये गये।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वी राज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प०6(15)नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा ~~मुआवजा की राशि निर्धारण करने हेतु राज्य सरकार~~ द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजना
जयपुर

उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 333-335 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जविप्रा एवं सचिव जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मीटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वी राज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुला कर नेगोशियेशन नहीं किया गया ।

विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दि० 7.7.88 को हुआ था इसलिए विभिन्न राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7.7.1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर रही थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्ति की जा रही है का मत ज्ञात किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी डी आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम लालरपुरा में 14,500/- रु० प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिये जहाँ तक उनके पक्ष का संबंध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण (प्रथम) ने भी अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.3.91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय रेट यही बताई है ।

लेकिन न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु० प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है जयपुर विकास प्राधिकरण के अभि. के. पी. मित्तल ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रु० प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- रु० प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु० प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा-9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजि० ए.डी. एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं चाहते । इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

जहां तक पेड़ पौधे, कुए, एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना पेश किये ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जिसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी एवं अनुमोदित तखमीना आने पर विचार कर नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार किया जा रहा है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अत: अवार्ड आज दिनांक 7-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)
जयपुर

संलग्न: परिशिष्ट "ए" गणना तालिका

यह अवार्ड आज दिनांक 20.7.91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F 6(15) नविआ/87/पार्ट दिनांक 19.7.91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हो गये हैं अतः अवार्ड आज दिनांक 20.7.91 को स्टेट इलाज प्रोफेक्टेड फाइनल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

239

(12)

परिशिष्ट "ब" ग्राम [illegible] तहसील जयपुर

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	खातेदारान/हितदारान का नाम	ख० नं०	रकबा बी० बि०	भूमि को मुआवजे की दर	मुआवजे की राशि	सोलेशियम राशि 30%	अति० 12% राशि	कुल राशि मुआवजे की
1.	393ए/88	हरनाथ पुत्र मांगू 1/2 रामदेव पु० हरदेवा 1/2 जाति जाट सा० देह	133	1-10	24,000/-	36,000/-	10,800/-	12,600/-	59,400/-
8.	"	कालू पुत्र नारायण 2/3 प्यारेलाल पुत्र नारायण जाति अहीर व मदन पु० रम्मा हि० 1/3 जाट सा० देह	177	6-13	"	1,59,600/-	47,880/-	55,860/-	63,340/-
2.	393 बी/88	हरनाथ पुत्र मांगू जाति जाट	134 ~~[illegible]~~	1-00	"	24,000/-	7,200/-	8,400/-	39,600/-
3.	399/88	भूरा पु० धन्ना 1/2 जीतर, छेलू, मदन पि० रघुनाथ 1/2 जा० अ० सा० देह	197 198	4-01 7-18 11-19	"	2,86,800/-	86,040/-	1,00,380/-	4,73,220/-
4.	400/88	भूरा पुत्र धन्ना जा० जाट सा० देह	154 155	1-10 2-15 4-05	"	1,02,000/-	30,600/-	35,700/-	1,68,300/-
5.	401/88 41/88	मेघ बालू पि० राम 1/3 रेखाराम लालू पि० भैया हि० 2/3 दर हि० 1/2 भूरा धन्ना हि० 1/2 जाट सा० देह	156 183	6-10 10-06 16-16	"	4,03,200/-	1,20,960/-	1,41,120/-	6,65,280/-
6.	402/88	हरनाथ पुत्र मांगू	158	3-12	"	86,400/-	25,920/-	30,240/-	1,42,560/-
7.	403/88	छुट्टा, भूरा, नाथू पि० हरनाथ जाति जाट	159	4-02	"	96,400/-	28,920/-	33,740/-	1,59,060/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास [illegible]
जयपुर

***

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	404/88	नाथू पि. गुल्ला हि. 1/2	160	1-00					
	405/88	तुला, नाथू रामू, रामचन्द्र,	161	0-13					
		जगदीश, बाबू पि. गोरिया	162	3-11					
		1/4, भूरिया पु. हरला 1/4	163						
			164	2-02					
		जाट	165	1-00					
				19-15	"	2,34,000/-	70,200	81,900/-	3,86,100/-
9.	406/88	नारायण पु. स्या पि. बुधा							
		व भोमी पु. हरला. नाथू पु.							
		गुल्ला जा. जाट सा. देह.							
		पाच्यावाला.	169	0-03	"	3,600/-	1,080/-	1,260/-	5,940/-
10.	407/88	नारायण पुरिया पि. बुधा	170	2-06					
	408/88	जाट सा. पाच्यावाला	171	5-06					
			172						
			173	1-06	"	2,13,600/-	64,080/-	74,760/-	3,52,440/-
				8-18					
11.	409/88	स्या पु. भूरा कौम जाट							
		सा. पाच्यावाला	174	1-13	"	39,600/-	11,880/-	13,860/-	65,340/-
12.	410/88	तुला, नाथू, रामू रामचन्द्र,	178	4-05					
		जगदीश, बाबू पि. गोरिया	179	0-13					
		नारायण पि. बुधा कौम	180	2-16					
		जाट सा. देह. मु. क.		7-14	"	1,84,800/-	55,440/-	64,690/-	3,44,930/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	412/88	भैरू, बाबूलाल पि• रा‌ड़ू 1/3 किशना, बाबू, पि• गणेश 1/3 जाट सा• देह• गु•क•	184	8-00	"	192000/-	57600/-	67200/-	316800/-
14.	413/88	दुआ नाथू राडू रामचन्द्र जगदीश बाबू पि• गोपी पि• 1/3 आरतका पि• दुआ पि• 1/3 नाथू पु• गुल्ला 1/3	185	1-02	"	26400/-	7920/-	9240/-	43560/-
15.	415/88	भूरा लाला, बाबू, भैरू, पि• दुआ 3/8 ऊजा पु• गोपी 5/8 जाट सा• देह•	191	13-07	"	320400/-	96120/-	112140/-	427760/-
16.	416/88	नान्गा, पु• भैरीलाल 1/9 दुआ पु• बन्ना 1/9, राम लाल, पु• गोपी 1/9 रामनाथ पु• भैरीलाल 2/9 गुल्ला पु• गोविन्दा 1/12 आयरा पु• भूरा 1/36 ऊजा, नाथू, राडू, रामचन्द्र, जगदीश, बाबू, पि• गोपी 1/6, नान्छा पु• प्रताप 1/6 जाट•	192	47-01	"	1129200/-	338760/-	395220/-	1863180/-
17	417/88	कु• चुन्नीदेवी पत्नी राम-नाथ सा• देह•	193	1-05	"	30000/-	9000/-	10500/-	49500/-

सक्षम अधिकारी नगर विकास परियोजना

1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21 18	418/88	मूला, देवीनारायण, राधेश्याम पि. सूरजबक्श 3/5 मय भैरवसिंह लाल, पुत्री सूरजबक्श 1/5, कैलाश देवी रामनाथ पुत्री सूरजबक्श 1/5 जाति ब्रा.	194 199	0-15 1-07 [illegible]	** ** **	[illegible]	40400/-	47640/-	[illegible]
22	--	सरस्वती देवी पत्नी स्व. जमना दास	200/ 227	3-01 5-03	**	123600/-	37080/-	43260/-	303940/-
19	419/88	मूलचन्द, राधेश्याम, पि. सूरजबक्श 2/5 मय भैरवलाल 1/5, कैलाश देवी रामनाथ 1/5 रामप्रताप पु. गोपी 1/5 जाट.	200	12-15	8**	306000/-	91800/-	107100/-	488400/-
20.	420/88	मान्जा पु. प्रताप 1/2 मांगीलाल मोहन मोहनू भैरु पि. प्रताप 1/2	201	21-11	**	517200/-	155160/-	181020/-	853380/-

नोट :- सोलेशियम राशि 30 प्रतिशत कॉलम नं. 7 पर जमा की गई है।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना कॉलम नं. 9 पर दिनांक 7.7.88 से (धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन) 7.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास/परियोजनायें, जयपुर।

255

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना
{ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन }

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 42-43   दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 404/88, 405/88 ग्राम [illegible] खसरा नम्बर 160, 176, 161, 162, 163, 164, 165 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894{1984 का अधिनियम संख्या 1} की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

{1} उक्त मुकदमो के परिशिष्ट 'A' के पृष्ठ सं. 13/C के

खसरा नं.	रकबा बी.-बिस्वा
160	1-14
161	0-13
162	3-11
163	2-02
164	1-00
165	19-15

के स्थान पर

खसरा नं.	रकबा बी.-बिस्वा
160	1-14
176	0-15
161	0-13
162	3-11
163	2-02
164	1-00
165	09-15

पढा जावे ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :
{1} उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
{2} सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

25

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना
§ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन §

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 44-45 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा सख्या 406/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 169 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894§1984 का अधिनियम संख्या 1§ की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :- परिशिष्ट 'A' के पृष्ठ सं० 13/C

§1§ उक्त मुकदमे में नारायण पु० रुघा पि मूथा व गोपी पु० हरला नाथू पु० गुल्ला जा. जार सा हैं पाच्यावाला के स्थान पर नारायण पुरा रुघा पि० मूथा व गोपी पु० हरला नाथू पु० गुल्ला जार सा० पाच्यावाला पढ़ा जावे।

जांच कर ली
[signature]

[signature] 30/12/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

§1§ उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

§2§ सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

257

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
§ जयपुर विकास प्राधिकरण भवन §

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 46-47 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 410/88 ग्राम [illegible] खसरा नम्बर 178, 179, 180 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894§1984 का अधिनियम संख्या 1§ की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

§1§ उक्त मुकदमे के अवार्ड के पृष्ठ सं 2/c (पेशानी में) मे

खसरा नं०	रकबा बी. बि.
178	4-05
180	2-16

के स्थान पर

खसरा नं०	रकबा बी. बि.
178	4-05
179	0-13
180	2-16

पढ़ा जावें।

[illegible]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

§1§ उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

§2§ सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

260

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/40-41 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 1/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 200/227 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमा के परिशिष्ट 'A' में क्र0सं0 8 पर सरस्वति देवी पत्नि स्व. श्री जगमादास के स्थान पर श्रीमति सरस्वति देवी स्व0 श्री जगनदास शर्मा पढ़ा जावें।

30/12/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

261

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजना
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 38-39 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 120/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 201 का अवार्ड दिनांक 26/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमे में अवार्ड के पृष्ठ सं 3/c व परिशिष्ट 'A' के पृष्ठ सं 15/c पर नान्घा पु. प्रताप परिशिष्ट नान्घा पु. प्रताप पढा जावे एवं के स्थान पर नान्घा पु. प्रताप पढा जावे एवं एनेक्सर 'A' के पृष्ठ सं 15/c पर नान्घा पु० प्रताप 1/2 नान्घा मोहन मोहन नान्घा पु० प्रताप 1/2 के स्थान पर नान्घा मोहन पि० प्रताप 1/2 नान्घा मोहन मोहन मोहन पु० प्रताप 1/2 नान्घा मोहन मोहन पि० प्रताप हि. 1/2 जा० जार पढा जावे।

(हस्ताक्षर)

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

242

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 36-37 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 402/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 158 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटियां ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धियां केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) मुकदमा नं० 402/88 के अवार्ड के पृष्ठ सं 14 व परिशिष्ट 'A' के पर हरनाथ पु० भाग व परिशिष्ट 'A' के स्थान पृष्ठ सं 14 पर हरनाथ पु० भागू के० जाट पढ़ा पर हरनाथ पु० भागू जावें ।

(पालना की गई)

30/12/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :
(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

263

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 34-35 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 401/88 व 411/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 156, 183 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) मुकदमे नं 401/88 व 411/88 के अवार्ड के पृ.सं. 4 पर भेरु बाबू पि. रामू 1/3 किशना, मादू पिता गणेश 1/3 दर भूरया वल्द बन्ना जाट 1/2 के स्थान पर भेरु, बाबू पि. रामू 1/3, किशना, मादू, पिता गणेश हि. 1/3 दर हि. 1/2 भूरया वल्द बन्ना हि. 1/2 जाट सा. देह पढ़ा जावें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

264

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 32-33 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 407/88 408/88 ग्राम लालरपुरा खसरा नम्बर 170, 171 172, 173 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धियां केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमो के अवार्ड में पृष्ठ सं 4 पर नारायण पुरीया नि० भूआ जार के स्थान पर नारायण पुरीया नि० भूआ जार मा० पांच्यावाला पढ़ा जावें।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।

218

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी,नगर विकास परियोजनाऐं,जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/30-31 दिनांक : 8/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 409/88 ग्राम पोलरपुरा खसरा नम्बर 174 का अवार्ड दिनांक 20/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटिया ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार को अशुद्धिया केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियो को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमा के अवार्ड के पृष्ठ से 3C पर रुग्गा पुत्र भूरा जाट के स्थान पर रुघा पुत्र भूरा कोम जाट पांच्यावाला पढ़ा जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू.अ./नवि/91/ 28-29 दिनांक : 3/1/92

:: कार्यालय आदेश ::

: शुद्धि पत्र :

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराजनगर योजना में मुकदमा संख्या 41/88 ग्राम कालरपुरा खसरा नम्बर 184 का अवार्ड दिनांक 29/7/91 को घोषित किया जाकर फाईल किया गया था । सम्बन्धित योजना सहायक द्वारा पत्रावली एवं अवार्ड के मिलान करने पर कुछ टंकण/लिपिकिय त्रुटियां ज्ञात हुई हैं जिन्हे शुद्ध किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार की अशुद्धियां केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13-ए के अन्तर्गत शुद्ध की जा सकती है । अतः केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम 1894(1984 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13-ए के अन्तर्गत टंकण/लिपिकीय सम्बन्धि त्रुटियों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैं । यह संशोधन पत्र मूल अवार्ड के साथ संलग्न रहेगा ।

संशोधन निम्न प्रकार होगा :-

(1) उक्त मुकदमा में अवार्ड के पृष्ठ सं 3/८ में भैरू बाबूलाल पि. रामू 1/3 किशना बाबू पि० गणेश के स्थान पर भैरू बाबूलाल पि० रामू 1/3 किशना बाबू पि० गणेश हि० 1/3 जाट सा० देह मुकदमा पढ़ा जावें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।

प्रतिलिपि :

(1) उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
(2) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।